

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या – 64/2026

देवनाथ

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, राजस्व एवं 6 अन्य

... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – कृष्ण गोपाल

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 17

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी

- हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्ण गोपाल और राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री अनिल कुमार कुशवाहा को सुना और अभिलेख में उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया।
- जनहित में दायर इस याचिका द्वारा याचिकाकर्ता ने ग्राम- संकरावां, परगना एवं जिला- अमेठी में स्थित ग्राम सभा की भूमि, गाटा संख्या 192 क्षेत्रफल 0.0228 हेक्टेयर और गाटा संख्या 114 क्षेत्रफल 0.78080 हेक्टेयर पर विरोधी पक्षकार संख्या 5 से 7 द्वारा किया गया अतिक्रमण हटाने के लिए निर्देश जारी करने की मांग की है।
- याचिका में यह प्रस्तुत किया गया है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत वाद संख्या 5020/2022 में तहसीलदार अमेठी ने अतिक्रमण हटाने के लिए दिनांक 15.07.2025 को एक आदेश पारित किया था।
- गौरीगंज, जिला अमेठी के उप-जिलाधिकारी द्वारा दिए गए लिखित निर्देशों के आधार पर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने न्यायालय को सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत दिनांक

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

15.07.2025 को पारित आदेश के अनुपालन में अतिक्रमण पहले ही हटा दिया गया है। तदनुसार, यह याचिका निष्प्रयोज्य हो गई है।

5. उपरोक्त के दृष्टिगत, यह रिट याचिका निष्प्रयोज्य होने के कारण खारिज की जाती है।

6 फरवरी, 2026

राम

(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)